तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही, मय इनिशियल्स जज
23/02/21	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट के अधिवक्ता को रा.ले.सं. 91 की तामीली हेतु नोटिस पेश किये जाने के सम्बन्ध में आज दिये गये। अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थित होने बावजूद न्यायालय की ओर से कई बार आवाजें लगवाई गई, परन्तु वे बावजूद सुनवाई के आज दिनांक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुए। अपीलार्थी के उपरोक्त अपील पत्रावली की ओर विद्वान अधिवक्ता द्वारा उचित पैरवी नहीं की गई है। अतः विद्वान अधीनस्थ को अपीलार्थी के उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपना पैरवी/अपना हलफी में पेश करने की आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कार्यालय में अधीनस्थ न्यायालय का रूल 24 आदेशिका की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
मनोज सिंह
न्यायालय संभागीय आयुक्त